

**न्यायालय:-व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 बैहर के अतिरिक्त व्यवहार
न्यायाधीश वर्ग-2, बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.)
(पीठासीन अधिकारी:-सिराज अली)**

वि.व्य.वाद कं.-07/2013
प्रस्तुति दिनांक-12.08.2013

1-नोहरसिंह पिता सेरसिंह, उम्र 60 वर्ष, जाति गोंड,
निवासी भड़गांव, तहसील बिरसा,
जिला बालाघाट (म.प्र.)

---वादी/आवेदक

बनाम

1-राधेलाल पिता छोटेलाल, उम्र 40 वर्ष, जाति गोंड,
निवासी मोहगांव (कुमादेही), तहसील परसवाड़ा,
जिला बालाघाट (म.प्र.)

2-रिवन पिता महासिंह उम्र 50 वर्ष, जाति गोंड,
निवासी भड़गांव, तहसील बिरसा
जिला बालाघाट (म.प्र.)

3-म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर,
जिला बालाघाट (म.प्र.)

---प्रतिवादीगण/अनावेदकगण

आदेश

दिनांक-13/02/2015 को पारित

- 1- इस आदेश के द्वारा वादी की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 9 नियम 9 व्य.प्र.सं. का साथ निराकरण किया जा रहा है।
- 2- वादी का आवेदन पत्र संक्षेप में इस प्रकार है कि मूल व्यवहार वाद क्रमांक-108/12 पक्षकार नोहरसिंह विरुद्ध राधेलाल इस न्यायालय में दिनांक-16.07.13 को वादी साक्ष्य हेतु नियत था। प्रकरण में उक्त पेशी दिनांक को वादी साक्ष्य प्रस्तुत न होने के कारण एवं वादी की अनुपस्थिति में वाद खारिज किया गया है। उक्त दिनांक को वादी साक्षी का तेरहवीं का कार्यक्रम होने के कारण वादी न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सका और इसकी सूचना अधिवक्ता को भी नहीं दे सका। वादी उक्त व्यवहार वाद को गुणदोष के आधार पर निराकृत करना चाहता है। अतएव मूल व्यवहार वाद को सुनवाई हेतु पुनः नंबर पर लिया जावे।

3— प्रतिवादीगण की ओर से उक्त आवेदन का लिखित जवाब पेश नहीं करते हुए मौखिक विरोध पेश किया गया है।

4— **आवेदन के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय बिन्दु हैं:-**

1— क्या वादी/आवेदक का मूल व्यवहार वाद में नियत सुनवाई दिनांक को अनुपस्थित रहने का पर्याप्त कारण था ?

2— क्या वादी/आवेदक मूल व्यवहार वाद को पुनः नंबर पर कायम किये जाने का हकदार है ?

: : विचारणीय बिन्दुओं का निराकरण : :

5— वादी ने अपने पक्ष समर्थन में मूल व्यवहार वाद क्रमांक-108/12 पक्षकार नोहरसिंह विरुद्ध राधेलाल व अन्य में पारित आदेश दिनांक 16.07.13 की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश की है। वादी/आवेदक ने समर्थन में स्वयं नोहरसिंह (आ.सा.1) की साक्ष्य पेश कर अपने आवेदन पत्र के अनुरूप कथन किया है कि साक्षी चैनसिंह की मृत्यु हो जाने के कारण मृत्यु संस्कार में लिप्त होने से वह नियत तिथि पर उपस्थित नहीं हो सका और अपने अधिवक्ता को भी जानकारी नहीं दे सका था। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि चैनसिंह का मृत्यु प्रमाणपत्र पेश नहीं किया है। साक्षी के प्रतिपरीक्षण में उसके कथन का अनावेदक की ओर से महत्वपूर्ण खंडन नहीं किया गया है। आवेदक की ओर से अन्य साक्षी भादू (आ.सा.2) ने भी अपनी साक्ष्य में आवेदक का समर्थन किया है, जिसके कथन का अनावेदक की ओर से खंडन नहीं किया गया है।

6— प्रकरण में अनावेदक की ओर से आवेदनपत्र का जवाब पेश नहीं किया गया है। आवेदक की ओर से प्रस्तुत साक्षीगण के कथन का भी महत्वपूर्ण खंडन नहीं किया गया है। अनावेदक ने स्वयं भी साक्ष्य पेश कर अथवा दस्तावेजी साक्ष्य के माध्यम से आवेदक के अभिवचन व साक्ष्य का खंडन नहीं किया है, जिस कारण आवेदक की साक्ष्य पर अविश्वास करने का कारण प्रकट नहीं होता है। मूल व्यवहार वाद के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रकरण में जिस साक्षी चैनसिंह का फौत होना प्रकट किया गया है, उसका आदेश 18 नियम 4 व्य.प्र.सं. के अंतर्गत मुख्य परीक्षण का शपथपत्र पेश किया गया था। उसी साक्षी के तेरहवीं कार्यक्रम में व्यस्त होने से साक्षी नियत पेशी दिनांक को अनुपस्थित होना प्रकट किया गया है। मूल प्रकरण में मृतक

चैनसिंह का साक्षी के रूप में पेश होना यह दर्शित करता है कि आवेदक से उसका निकट संबंध रहा है। अतएव यह स्वाभाविक रूप से प्रकट होता है कि उसके फौत होने पर वह नियत पेशी दिनांक को न्यायालय में नहीं आ सका।

7— वादी/आवेदक ने यह आवेदन वाद निरस्त होने के 30 दिवस के भीतर न्यायालय में पेश किया है। आवेदन पत्र विहित समयावधि के भीतर पेश किया जाना प्रकट होता है। आवेदनपत्र में उल्लेखित अभिवचन व समर्थन में पेश की गई साक्ष्य से वादी का मूल व्यवहार वाद में नियत पेशी दिनांक को अपनी अनुपस्थिति का पर्याप्त एवं सद्भाविक कारण प्रकट होता है। वादी/आवेदक की मूल व्यवहार वाद में अपना तत्परता पूर्वक पक्ष रखे जाने की मंशा प्रकट होती है। अतएव वादी को मूल प्रकरण में अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए वाद को गुण-दोषों पर निराकरण किया जाना उचित प्रतीत होता है।

8— उक्त सभी कारण से वादी/आवेदक का आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 9 नियम 9 व्य.प्र.सं. 500/-रूपये परिव्यय पर स्वीकार किया जाता है। फलतः वादी के वाद निरस्ती के आदेश को अपास्त करते हुए मूल व्यवहार वाद को पुनः नंबर पर कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। वादी/आवेदक पर उक्त अधिरोपित परिव्यय की राशि अदायगी वाद को पुनः नंबर पर कायम किये जाने व वाद में सुनवाई किये जाने हेतु पूर्ववर्ती शर्त रहेगी।

10— उभयपक्ष इस न्यायालय के समक्ष मूल व्यवहार वाद में सुनवाई हेतु नियत दिनांक 24.02.15 को आवश्यक रूप से उपस्थित रहें।

आदेश खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर पारित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली)

व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, बैहर के
अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2,
बैहर

(सिराज अली)

व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, बैहर के
अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2,
बैहर